न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष: मनोज गोयल,

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3498-पीबीआर/2014 विरूद्ध आदेश दि.26-9-2014 पारित द्वारा अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर, प्रकरण क्रमांक निगरानी 37/2002-03

1-नारायण पिता उदा सिर्वी
2-बाबूलाल पिता ओटा सिर्वी
निवासीगण ग्राम धुलेट तहसील सरदारपुर जिला धार

.....आवेदकगण

विरूद्ध

1-मीराबाई पति सेवसिंह
2-गेदीबाई पति पन्नालाल सिर्वी मृत वारिसान :-
1-मुन्नालाल पिता पन्नालाल
2-गेंदालाल पिता पन्नालाल
निवासीगण ग्राम धुलेट तहसील सरदारपुर जिला धार

.....अनावेदकगण

.....

श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी, अभिभाषक--आवेदकगण
श्री दिवाकर दीक्षित अभिभाषक--अनावेदक क्रमांक 2 के वारिसान

** आ दे श **

(आज दिनांक 25/7/18 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 26-9-2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अनावेदिका क्रमांक 1 मीराबाई द्वारा अनुविभागीय अधिकारी सरदारपुर जिला धार के समक्ष संहिता की धारा 170-ख के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम धुलेट स्थित सर्वे क्रमांक 940, 941, 942, 945, 946, 947 पर अनावेदकगण का कब्जा चला आ रहा है, अत: प्रश्नाधीन भूमि का कब्जा दिलाया जाये । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 15-6-1984 को आदेश पारित कर अनावेदिका क्रमांक 1 का आवेदन पत्र निरस्त किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अपर कलेक्टर जिला धार के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर कलेक्टर द्वारा दिनांक 20-7-1987 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 29-6-1989 को आदेश पारित कर प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि अन्तरण के स्वरूप की जॉच एवं उभयपक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य का पर्याप्त अवसर देते हुये आदेश पारित करें । अपर आयुक्त के प्रत्यावर्तन आदेश के पालन में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 6-8-1998 को आदेश पारित कर यह निष्कर्ष निकालते हुये आवेदन पत्र खारिज किया कि प्रश्नाधीन भूमि पर 30 वर्ष से भी अधिक समय से गैर आदिवासी का कब्जा चला आ रहा है। प्रकरण दिनांक 2-10-1959 के पूर्व का होने से संहिता की धारा 170 की परिधि में नहीं आता है । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई, जो क्षेत्राधिकार नहीं होने से अपर कलेक्टर जिला धार के समक्ष प्रस्तुत की गई । अपर कलेक्टर द्वारा दिनांक 16-5-2000 को आदेश पारित कर निगरानी निरस्त की गई । अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त के समक्ष निगरानी प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 26-9-2014 को आदेश पारित कर अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाकर निगरानी स्वीकार की गई एवं अनुविभागीय अधिकारी को निर्देशित किया गया कि प्रश्नाधीन भूमियों का आधिपत्य आदिवासी महिला अनावेदिका क्रमांक 1 मीराबाई को गैर आदिवासी नारायण पिता उदा व अन्य से दिलाया जाये । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :-

(1) प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में संहिता की धारा 170-ख प्रभावशील होने के पूर्व प्रकरण दर्ज होकर दिनांक 15-8-1950 के पूर्व धारा 21 जागीर समाप्ति विधान मुजब हमारे वडिलो का नाम हुआ और दिनांक 15-8-1950 के पूर्व जागीर समाप्ति विधान मुजब हमे पक्का कृषक का प्रमाण पत्र जारी किया गया है । ऐसी दशा में यह प्रकरण किसी भी दशा में संहिता की धारा 170-क में नहीं आता है ।

(2) अपर आयुक्त द्वारा अपने आदेश के पैरा 4 में यह उल्लेख किया गया है कि मूल प्रकरण जिस विधान में जिस दिनांक को पेश हुआ उस दिनांक को संहिता की धारा 170-ख प्रभावशील नहीं थी, जिस पर अपर आयुक्त द्वारा कोई विचार नहीं करने में त्रुटि की गई है ।

(3) अनावेदिका क्रमांक 1 ने बिना कोई हक के अपील अपर आयुक्त के समक्ष पेश की गई, वह उसे वापस हुई और मामला अपर कलेक्टर के यहॉ अनावेदिका क्रमांक 1 ने पेश किया ।

(4) प्रकरण संहिता की धारा 170-ख प्रभावशील होने के पूर्व का था उसमें संहिता की धारा 170-ख के संबंध में जानकारी का प्रश्न नहीं था । वैसे भी उस दिनांक के पूर्व पूर्वागामी रिस्ट्राफेक्ट इफेक्ट न होते हुये भी आवेदकगण द्वारा जबाव दिया गया था । उक्त समस्त दस्तावेज मूल मिसल में थे । मूल मिसल तलब न कर मात्र अपर कलेक्टर के आदेश पर से अपर आयुक्त द्वारा आदेश पारित किया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है ।

(5) अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का मूल प्रकरण तलब किये बिना कयास पर मनमाना निर्णय दिया है, जो अधिकार बाह्य है ।

(6) मूल न्यायालय ने प्रकरण समाप्त किया और प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपील बेरून मियाद ठहराकर अपास्त की, जिसके विरूद्ध अपर आयुक्त ज्यादा से ज्यादा विलम्ब क्षमा कर प्रकरण गुणदोष पर निराकरण हेतु अपर कलेक्टर को भेज सकते थे, किन्तु उनके द्वारा गुणदोष पर आदेश पारित करने में अवैधानिकता की गई है ।

4/ अनावेदक क्रमांक 2 के वारिसान के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि मृतक अनावेदिका क्रमांक 2 आदिवासी महिला के भूमिस्वामी स्वत्व की है, जिसे आवेदकगण द्वारा जबरन हड़प ली गई है । यह भी कहा गया कि प्रश्नाधीन भूमि आवेदकगण के कब्जे में किस प्रकार आई, इसका भी कोई

स्पष्टीकरण आवेदकगण द्वारा नहीं दिया गया है । यह भी कहा गया कि अपर आयुक्त द्वारा स्पष्ट विवेचना करते हुये बोलता हुआ आदेश पारित किया गया है । इस आधार पर कहा गया कि अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश विधिसंगत है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं होने से यह निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी का रिकार्ड अब उपलब्ध नहीं है । अपर आयुक्त के समक्ष भी अनुविभागीय अधिकारी का अभिलेख नहीं आया था । ऐसे में अनुविभागीय अधिकारी के इस स्पष्ट निष्कर्ष पर कि गैर आदिवासी का कब्जा 1959 से पूर्व का होकर प्रकरण संहिता की धारा 170 की परिधि में नहीं आता है, के विपरीत कोई भी तथ्य अपर आयुक्त के समक्ष उपलब्ध नहीं थे । अपर आयुक्त के समस्त निष्कर्ष मात्र अनुमान पर आधारित है, जिन्हें स्थिर नहीं रखा जा सकता । अनावेदकपक्ष ने न तो इस न्यायालय में और न ही अपर आयुक्त के समक्ष अनुविभागीय अधिकारी के निष्कर्षो के विपरीत कोई तथ्य/प्रमाण पेश नहीं किये है। ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त ने बिना पर्याप्त आधार के निचले दो न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष में परिवर्तन करने में त्रुटि की है । अनुविभागीय अधिकारी ने सभी तथ्यों/साक्ष्यों पर अपने आदेश में विस्तार से विवेचना कर निष्कर्ष निकाले है जिस पर अविश्वास करने के कोई भी आधार प्रकरण में नहीं है । अतः अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश विधिनुकूल नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 26-9-2014 निरस्त किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी सरदारपुर जिला धार द्वारा पारित आदेश दिनांक 6-8-1998 स्थिर रखा जाता है । निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(मनोज गोयल)

अध्यक्ष,

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,

ग्वालियर